न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :— 86/2022

वादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र खेराजराम
2. भेपाराम पुत्र खेराजराम
3. आदूराम उर्फ प्रेमाराम पुत्र खेराजराम
4. श्रीमति समुदेवी पुत्री खेराजराम जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम रावर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. खेराजराम पुत्र हरीराम, जाति विश्नोई, निवासी रावर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—** 5/7/2023

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा संख्या 413 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा (3.4706 हैक्टेयर) आयी हुयी है। यह भूमि भबूतराम, खेराजराम पिसरान हरीराम उर्फ शिवराम, जाति विश्नोई निवासी रावर की सयुक्त खातेदारी की थी। जिसमें भबूतराम का 1/2 हिस्सा तथा खेराजराम का 1/2 हिस्सा था। वाद पत्र में वर्णित सजरा खानदान के अनुसार भबूतराम जी की पत्नी सुवटी है। भबूतराम के देहान्त के बाद सुवटी ने अपने देवर खेराजराम के साथ नाता (चूडी) विवाह कर लिया। खेराजराम व सुवटी के सहवास से तीन पुत्र ओमप्रकाश, भेपाराम, आदूराम उर्फ प्रेमाराम तथा एक पुत्री समुदेवी पैदा हुये। श्रीमति सुवटी का देहान्त दिनांक 05.07.1984 को हो चुका है। इस प्रकार खातेदार खेराजराम के उतराधिकारी उसके तीन पुत्र ओमप्रकाश, भेपाराम, आदूराम उर्फ प्रेमाराम तथा एक पुत्री समुदेवी है। सजरा खानदान में वर्णित पक्षकारों के अलावा अन्य कोई उतराधिकारी नही है। ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 413 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा स्थित है, जिसकी खातेदारी भबूतराम, खेराजराम पिसरान हरीराम उर्फ शिवराम की थी। भबूतराम की पत्नी सुवटी थी, भबूतराम व सुवटी के कोई औलाद नही थी। भबूतराम का देहान्त सम्वत् 2020 में हो गया, उसके देहान्त के बाद उसकी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्नी सुवटी ने अपने देवर खेराजराम के साथ नाता विवाह कर लिया। श्रीमति सुवटी ने खेराजराम के साथ चूड़ी पहनने के बाद उसके साथ ही जीवनभर तक रही। श्रीमति सुवटी व उसके पति खेराजराम के सहवास से उसके तीन पुत्र ओमप्रकाश, भेपाराम, आदूराम उर्फ प्रेमाराम तथा एक पुत्री समुदेवी पैदा हुए। श्रीमति सुवटी का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1103 दिनांक 24.12.2010 को स्वीकृत किया गया, लेकिन नायब तहसीलदार बिलाड़ा ने नामान्तरकरण संख्या 1103 स्वीकृत करते समय उसके तीन पुत्र ओमप्रकाश, भेपाराम, आदूराम उर्फ प्रेमाराम तथा एक पुत्री समुदेवी पुत्री खेराजराम के बजाय ओमाराम, भेपाराम, प्रेमाराम उर्फ आदूराम पुत्र सुवटी, समुड़ी देवी पुत्री सुवटी दर्ज कर दिया, जबकि ओमप्रकाश, भेपाराम, आदूराम उर्फ प्रेमाराम पिसरान खेराजराम तथा एक पुत्री समुदेवी पुत्री खेराजराम दर्ज करना चाहिए था। इस कारण वादीगण श्रीमति सुवटी पत्नी खेराजराम के 1/2 हक व हिस्से की भूमि में दर्ज अपने पिता के नाम की रेकर्ड दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। वादीगण अभी दो माह पूर्व अपनी खातेदारी भूमि का किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गये और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि की जमाबन्दी देने हेतु का निवेदन किया और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी चाही, जिस पर हल्का पटवारी ने जमाबन्दी की नकल देकर वादीगण को बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, टी.सी. जनआधारकार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड, जॉब कार्ड वगैरा में पिता का नाम खेराजराम दर्ज है और जमाबन्दी में आपके पिता का नाम भबूतराम लिखा हुआ है, इस कारण किसान क्रेडिट कार्ड जारी नही किया जा सकता है। जिस पर वादीगण ने हल्का पटवारी से नामान्तरकरण संख्या 1103 को प्राप्त किया तो वादीगण को जानकारी हुयी कि श्रीमति सुवटी पत्नी भबूतराम के देहान्त का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1103 भरते समय गलती से ओमाराम, भेपाराम, प्रेमाराम उर्फ आदूराम पिसरान खेराजराम, समुड़ी देवी पुत्री खेराजराम के बजाय ओमाराम, भेपाराम, प्रेमाराम उर्फ आदूराम पुत्र सुवटी, समुड़ी देवी पुत्री सुवटी लिख दिया गया था, जो एक सद्भाविक भूल है। ऐसी कार्यवाही को शुद्धि कराने हेतु वादीगण तहसील कार्यालय बिलाड़ा गये ओर तहसीलदार साहब से सम्पर्क किया और निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में ओमाराम, भेपाराम, प्रेमाराम उर्फ आदूराम पिसरान भबूतराम, समुड़ी देवी पुत्री सुवटी के स्थान पर ओमप्रकाश, भेपाराम आदूराम उर्फ प्रेमाराम पिसरान खेराजराम तथा समुदेवी पुत्री खेराजराम दर्ज किया जावे, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने राजस्व रेकर्ड व सरकारी दस्तावेज देखकर वादीगण को कहा कि आप सक्षम न्यायालय निर्णय के अनुसार आपके पिता के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नाम की शुद्धि रेकर्ड में दर्ज की जायेगी। इस कारण वादीगण को अपने पिता के नाम की शुद्धि कराने हेतु घोषणा का दावा पेश करना पड़ रहा है।

अन्त में वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 413 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा (3.4706 हैक्टेयर) में दर्ज 1/8 वॉ हिस्सा ओमाराम पुत्र भभूतराम, 1/8 वॉ हिस्सा भेपाराम पुत्र भभूतराम, 1/8 वॉ हिस्सा समुड़ीदेवी पुत्री सुवटी के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र खेराजराम 1/8 हिस्सा, आदूराम उर्फ प्रेमाराम पुत्र खेराजराम 1/8 हिस्सा, भेपाराम पुत्र खेराजराम 1/8 हिस्सा, समुदेवी पुत्री खेराजराम 1/8 हिस्सा की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाने का आदेश फरमावे। नामान्तरकरण संख्या 1103 निरस्त फरमाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि पद संख्या 1 दावा का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा संख्या 413 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा (3.4706 हैक्टेयर) आयी हुयी है। यह भूमि भबूतराम, खेराजराम पिसरान हरीराम उर्फ शिवराम, जाति विश्नोई निवासी रावर की सयुक्त खातेदारी की थी। जिसमें भबूतराम का 1/2 हिस्सा तथा खेराजराम का 1/2 हिस्सा था। पद संख्या 2 दावा सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 3 दावा सही होने से स्वीकार है। ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 413 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा स्थित है, जिसकी खातेदारी भबूतराम, खेराजराम पिसरान हरीराम उर्फ शिवराम की थी। भबूतराम की पत्नी सुवटी थी, भबूतराम व सुवटी के कोई औलाद नही थी। भबूतराम का देहान्त सम्वत् 2020 में हो गया, उसके देहान्त के बाद उसकी पत्नी सुवटी ने अपने देवर खेराजराम के साथ नाता विवाह कर लिया। श्रीमति सुवटी ने खेराजराम के साथ चूड़ी पहनने के बाद उसके साथ ही जीवनभर तक रही। श्रीमति सुवटी व उसके पति खेराजराम के सहवास से उसके तीन पुत्र ओमप्रकाश, भेपाराम, आदूराम उर्फ प्रेमाराम तथा एक पुत्री समुदेवी पैदा हुए। श्रीमति सुवटी का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1103 दिनांक 24.12.2010 को स्वीकृत किया गया, लेकिन नायब तहसीलदार बिलाड़ा ने नामान्तरकरण संख्या 1103 स्वीकृत करते समय उसके तीन पुत्र ओमप्रकाश, भेपाराम, आदूराम उर्फ प्रेमाराम तथा एक पुत्री समुदेवी पुत्री खेराजराम के बजाय ओमाराम, भेपाराम,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रेमाराम उर्फ आदूराम पुत्र सुवटी, समुड़ी देवी पुत्री सुवटी दर्ज कर दिया, जबकि ओमप्रकाश, भेपाराम, आदूराम उर्फ प्रेमाराम पिसरान खेराजराम तथा एक पुत्री समुदेवी पुत्री खेराजराम दर्ज करना चाहिए था। इस कारण वादीगण श्रीमति सुवटी पत्नी खेराजराम के 1/2 हक व हिस्से की भूमि में दर्ज अपने पिता के नाम की रेकर्ड दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। पद संख्या 4 दावा वादीगण स्वयं साबित करे। पद संख्या 5 से 7 कानूनी है। पद संख्या 8 प्रार्थना वादीगण है, जो सही होने से स्वीकार है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का आदेश फरमावे।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार ने जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर के खसरा संख्या 413 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय खेराजराम पुत्र हरीराम 1/2, भेपाराम पुत्र भबूतराम 1/8, ओमाराम पुत्र भबूतराम 1/8, प्रेमाराम पुत्र भबूतराम 1/8, समुड़ीदेवी पुत्री सुवटी 1/8 जाति विश्नोई सा. देह के नाम दर्ज है। पद संख्या 2 से 5 वादी स्वयं साबित करे। पद संख्या 6 से 8 कानूनी है। जमाबन्दी चौसाला 2021 से 2024 के खाता सं. 105 में यह भूमि खेराज, भभूत पि. शिवराम के नाम थी। जमाबन्दी चौसाला 2025 से 2028 के खाता सं. 36 में यह भूमि खेराज पुत्र शिवराम, सुवटी बेवा भबूत के नाम दर्ज हुई है। जिसमें भबूत के नाम से सीधा सुवटी दर्ज हुआ है, जिसमें जमाबन्दी में कोई नोट नही लगा है। सुवटी के फौत होने पर नामा. 1103 भरा गया, जिसमें भेपाराम, ओमाराम व प्रेमाराम को सुवटी का पुत्र बताया गया है तथा समुड़ीदेवी को पुत्री बताया गया है। वाद पत्र के पैरा सं. 3 में सुवटी व भभूतराम के कोई औलाद होना नही बताया है। जबकि नामा. सं. 1103 भरे जाने पर पुश्त पर अंकित वंशावली में भेपाराम, ओमाराम, प्रेमाराम समुड़ीदेवी होना बताया है तथा वंशावली ग्राम पंचायत रावर के सरपंच द्वारा प्रमाणित है।

प्रतिवादीगण की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही। इस कारण वादी का साक्ष्य शपथ पत्र रेकर्ड पर लिया गया, वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 से 26 पेश किये गये।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे यह विदित होता है कि मृतक खातेदार सुवटी का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1103 भरते समय राजस्व कर्मचारियों ने

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

भूलवश मृतक सुवटी के वारिसानों के सम्पूर्ण दस्तावेजों की जॉच किये बिना मृतक सुवटी के वारिसानों का नाम भेपाराम पुत्र भबूतराम, ओमाराम पुत्र भबूतराम 1/8, प्रेमाराम पुत्र भबूतराम समुड़ीदेवी पुत्री सुवटी जो एक विधिक भूल है, जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 413 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा (3.4706 हैक्टेयर) में दर्ज 1/8 वॉ हिस्सा ओमाराम पुत्र भभूतराम, 1/8 वॉ हिस्सा भेपाराम पुत्र भभूतराम, 1/8 वॉ हिस्सा समुड़ीदेवी पुत्री सुवटी के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र खेराजराम 1/8 हिस्सा, आदूराम उर्फ प्रेमाराम पुत्र खेराजराम 1/8 हिस्सा, भेपाराम पुत्र खेराजराम 1/8 हिस्सा, समुदेवी पुत्री खेराजराम 1/8 हिस्सा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/7/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा